

# डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड कोटा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक /

गोप. / पुनर्मू./पुनर्ग. / बिलासपुर,

दिनांक .....

## -: पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना की सूचना :-

टीप :-परीक्षा का नाम , अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक , विषय, प्रश्नपत्र एवं स्वयं के पते की पूर्तियां छात्र सुवाच्य लेख में स्वयं करें ।

छात्र का नाम .....

अनुक्रमांक ..... नामांकन क्रमांक .....

परीक्षा का नाम ..... वर्ष ..... की मुख्य / पूरक परीक्षा

विषय (1) ..... प्रश्न -पत्र .....

(2) ..... प्रश्न -पत्र .....

### -: कार्यालयीन उपयोग के लिए :-

आपके पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना आवेदन - पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के पश्चात :-

- (1) अंको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।
- (2) मात्र अंको में परिवर्तन हुआ है ।
- (3) अनुत्तीर्ण से पूरक घोषित किया गया है ।
- (4) पूरक से उत्तीर्ण घोषित किया गया है ।

पूरक घोषित छात्र को पूरक परीक्षा आवेदन - पत्र जमा करने हेतु (इस पत्र की छायाप्रति संलग्न करने पर ) बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन-पत्र जमा करने की अनुमति कृपया दी जावे ।

उप / सहायक कुलसचिव (गोपनीय)

डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय

(छात्र स्वयं का पता सुवाच्य लेख में लिखें )

प्रति,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

प्रति,  
कुलसचिव,  
डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय  
करगीरोड-कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)  
पिन कोड:- 495113

# डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय,करगीरोड कोटा,बिलासपुर (छ.ग.)

## पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना हेतु आवेदन -पत्र

(समस्त पूर्तियां छात्र स्वयं सुवाच्य लेख में करें । )

दिनांक .....

- 1- परीक्षार्थी का नाम पूरा पता .....
- 2- परीक्षा का नाम (अंकसूची की प्रतिलिपि संलग्न करें ) .....
- 3- परीक्षा केन्द्र का नाम .....
- 4- अनुक्रमांक .....
- 5- नामांकन/पंजीयन क्रमांक .....
- 6- मुख्य /पूरक परीक्षा वर्ष 200 .....
- 7- परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि .....

8- विषय तथा प्रश्न-पत्र का नाम जिसमें पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना करना है । (नियमानुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए आवेदन करें । )	प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंक.	
	प्राप्तांक	पूर्णांक
(अ)		
(ब)		

### घोषणा

मे विश्वविद्यालय के अध्यादेश में उपर्युक्त विषय में निहित प्रावधान की शर्तों को तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों को पालन करने के लिए बाध्य हूँ ।

उपरोक्त आवेदन -पत्र का निराकरण पुनर्मूल्यांकन पद्धति में सुधार के नियमानुसार किया जायेगा,जो मुझे स्वीकार्य होगा तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय का नियम मुझे मान्य होगा ।

पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर)

नोट :- 1- छात्र पुनर्मूल्यांकन के विषय सोच समझकर भरें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन करना

सम्भव नहीं है ।

2- विश्वविद्यालय मे प्राप्त अंकसूची की तिथि जो अंकसूची पर अंकित है से 15 दिनों के अन्दर आवेदन स्वीकार किया जावेगा । इसके बाद के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे ।

### केवन कार्यालय उपयोग के लिए

अध्यादेश अनुसार कृपया रूपया ..... स्वीकार करें ।